न्यायधीश राजीव नारायण रैना के समक्ष

जसमेर सिंह -याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य- उत्तरवादी

सिविल रिट याचिका संख्या. 454of2011

जुलाई 11, 2013

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 - पंजाब पुलिस नियम, 1937 (हरियाणा पर लागू) - स्थायी आदेश 127 - याचिकाकर्ता ने 12 साल की अर्हक सेवा पूरी करने पर छूट प्राप्त हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति का दावा किया, जो कि थी 22.9,2004 - उनकी पदोन्नति से पहले अवैध परितोषण स्वीकार करने के लिए स्थायी प्रभाव के बिना दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का दंड लगाया गया - दो वेतन वृद्धि बहाल की गई और सजा आदेश 30.8.2008 को समाप्त हो गया था - याचिकाकर्ता ने उनसे कनिष्ठ दो कांस्टेबलों के रूप में पदोन्नति का दावा किया 4.6.2009 को पदोन्नत किया गया - पदोन्नति के लिए प्रतिनिधित्व इस कारण से खारिज कर दिया गया कि स्थायी आदेश 127 के अनुसार, याचिकाकर्ता की सत्यनिष्ठा को प्रमाणित नहीं किया जा सका - प्रतिनिधित्व की अस्वीकृति को चुनौती - माना गया कि भले ही सजा अपना काम कर चुकी थी, लेकिन इसका आधार आरोप बरकरार है - सत्यनिष्ठा प्रमाणित नहीं की जा सकी - रिट याचिका खारिज कर दी गई।

यह निर्धारित किया गया कि संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धि रोकने जैसे मामूली दंड लगाने के मामले में, प्रक्रिया के माध्यम से सिद्ध किए गए आरोप का आधार नियमित विभागीय जांच नहीं है गायब। ऐसे ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें नैतिक अधमता, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार आदि शामिल न हों, जहां पदोन्नति के अवसरों पर मामूली सजा का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं हो सकता है, या माना जाता है कि यह काफी हद तक कम हो गया है। चयन और गैर-अनुमोदन पदों पर पदोन्नति के मामलों पर विचार करते समय मामूली सजा का प्रावधान इसके प्रभाव में बाधा डाल सकता है। मैं कम कहता हूं, सजा की अवधि समाप्त होने के बाद भ्रष्टाचार की उपस्थिति एक कांस्टेबल के मामले में पदोन्नति से इनकार करने के लिए पर्याप्त कारण हो सकती है, जब स्थायी आदेश संख्या 127 में कहा गया है कि ईमानदारी को प्रमाणित करना होगा।

(पैरा 5)

आगे कहा कि मुझे नहीं लगता कि पुलिस महानिरीक्षक अंबाला रेंज विवादित आदेश पारित करते समय निर्णय लेने की प्रक्रिया में किसी भी अप्रासंगिक विचार का शिकार हो गया है। जब वह कहते हैं कि भ्रष्टाचार का आरोप साबित होने पर याचिकाकर्ता की सत्यनिष्ठा को खत्म नहीं किया जा सकता, तो उन्हें गलत नहीं ठहराया जा सकता। यह केवल वित्तीय लाभ है जिससे याचिकाकर्ता अस्थायी रूप से वंचित था, समय के साथ उसे उपलब्ध कराया गया है। वेतन और भत्तों की बहाली का वास्तव में नियमों के अनुसार पदोन्नति के अधिकार, उच्च पद के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने और कनिष्ठों को प्रेरित करने के अधिकार से कोई लेना-देना नहीं है। थाल वास्तव में पदोन्नति है, न कि केवल नौकरी

(पैरा 7)

अरुण के. कौंडल, याचिकाकर्ता के लिए वकील

हरीश राठी, वरिष्ठ अधिवक्ता, हरियाणा

न्यायधीश राजीव नारायण रैना।

(1) पदोन्नति के लिए 12 वर्ष की अर्हकारी सेवा आवश्यक है। याचिकाकर्ता ने 22.9.2004 को अर्हता प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी कर ली। इससे पहले कि उनकी पदोन्नति की बारी आती, उन पर स्थायी प्रभाव के बिना दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का जुर्माना लगाया गया, पुलिस द्वारा बसों की जाँच के दौरान एक प्रवीण कुमार से पैसे लेने के उनके आचरण की नियमित जांच के बाद जुर्माना लगाया गया। (2) सजा आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने 2009 के सीडब्ल्यूपी नंबर 4527 में इस न्यायालय से संपर्क किया और सवाल उठाया, 'एफएचसी रिट याचिका का निपटारा 16.4.2009 को किया गया था। सज़ा बरकरार रखने वाले अपीलीय आदेश को रद्द कर दिया गया और उत्तरदाताओं को कारण दर्ज करके नए आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया। अपील को खारिज करते हुए एक नया आदेश पारित किया गया। इसके कारण याचिकाकर्ता को 2009 की सीडब्ल्यूपी संख्या 14714 दायर करनी पड़ी। यह रिट याचिका खारिज कर दी गई। 'दंड के आदेश को बरकरार रखा गया क्योंकि हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं पाया गया। 'इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता की पदोन्नति न होने के संबंध में उसकी शिकायत को भी संबोधित किया और पाया कि सजा के दौरान, याचिकाकर्ता को नजरअंदाज किया जा सकता है।

(3)'सजा का आदेश 30.8.2008 को समाप्त हो गया था। अस्थायी रूप से रोकी गई दो वेतन वृद्धि बहाल हो गई। याचिकाकर्ता से कनिष्ठ दो व्यक्तियों, कांस्टेबल बलकार सिंह और राजिंदर कुमार को दिनांक 4.6.2009 के आदेश द्वारा पदोन्नत किया गया था।

(4) याचिकाकर्ता ने 26.10.2009 को स्थायी का हवाला देते हुए पदोन्नति का दावा करते हुए एक अभ्यावेदन दिया था। पुलिस महानिदेशक, हरियाणा (डीजीपी, हरियाणा) द्वारा जारी आदेश संख्या 127 दिनांक 22.9.2008 जिसके तहत एक अधिकारी को 10 आईसी के रूप में पदोन्नति के लिए पात्र बनाने के लिए पिछले दस वर्षों की सीसीआरटीआई सत्यनिष्ठा के साथ 70 अच्छी रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। चूंकि उनका मामला विभाग द्वारा नहीं लिया गया था और न ही विचार किया गया था, इसलिए उन्होंने 2010 के टाइलिंग सीडब्ल्यूपी नंबर 7471 द्वारा फिर से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस न्यायालय ने 27.4.2010 को उत्तरदाताओं को 26.10.2009 के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने के निर्देश के साथ मामले का निपटारा किया। दो महीने की अवधि के भीतर. इस न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, रिश्वत लेने के आरोपों के आधार पर जुर्माना लगाने के कारण पदोन्नति के अनुरोध को खारिज करते हुए दिनांक 4.6.2010 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक, अंबाला रेंज ने माना है कि जुर्माना लगाने के आधार पर, याचिकाकर्ता की ईमानदारी को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है क्योंकि कांस्टेबलों के स्तर पर पुलिसकर्मियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट बनाए नहीं रखी जाती है। तथ्य यह है कि जुर्माना अवैध परितोषण लेने के लिए लगाया गया था, और इस न्यायालय द्वारा 2009 के सीडब्ल्यूपी नंबर 14714 में जुर्माना आदेश को बरकरार रखा गया है, केवल इसलिए कि सजा की अवधि समाप्त हो गई है और वेतन वृद्धि बहाल हो गई है, इसका दंश दूर नहीं होगा। इस न्यायालय ने दिनांक 22.9.2009 के अपने आदेश में कहा:

"अखबार में प्रकाशित एक समाचार के आधार पर, याचिकाकर्ता के खिलाफ इस आरोप के साथ कार्रवाई की गई थी कि उसने बिच की जांच करते समय एक व्यक्ति से 500/- रुपये रिश्वत के रूप में लिए थे। याचिकाकर्ता के वकील करेंगे शिकायतकर्ता द्वारा यह आग्रह करने के लिए दिए गए बयान का संदर्भ लें कि उसने आरोप का समर्थन नहीं किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है, शिकायतकर्ता ने यह कहने के लिए अपने पिछले संस्करण से

आंशिक रूप से इनकार कर दिया है कि वह याचिकाकर्ता को यह नहीं बता सकता कि उसने यह पैसा लिया है, लेकिन उसने इस आरोप का समर्थन किया है कि जांच के समय, पैसे की मांग की गई थी और उसके द्वारा भुगतान किया गया था। शिकायतकर्ता के इस संस्करण को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया है और संबंधित अधिकारियों ने यह विचार किया है कि याचिकाकर्ता ही जिम्मेदार था। बस की जांच करने के लिए और इसलिए वह व्यक्ति होगा जिसके खिलाफ ये आरोप लगाए गए थे। प्रतिवादी-अधिकारियों की ओर से इस सराहना को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। अभ्यास या रिट क्षेत्राधिकार में अदालत तथ्यों और की पुनः सराहना में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है रिकॉर्ड पर सामग्री. 'याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उसे पदोन्नत नहीं किया गया है और उसके कनिष्ठों को इस प्रकार पदोन्नत करने का भी कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि सजा के दौरान, याचिकाकर्ता को पदोन्नति के लिए नजरअंदाज कर दिया जाएगा। इस प्रकार, रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है।

तदनुसार रिट याचिका खारिज कर दी जाती है। ”

(5) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धि रोकने जैसे मामूली दंड लगाने के मामले में, नियमित विभागीय जांच की प्रक्रिया के माध्यम से सिद्ध किए गए आरोप का आधार गायब नहीं होता है। ऐसे आरोप-पत्र के मामले हो सकते हैं जिनमें नैतिक अधमता, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार आदि शामिल नहीं हैं, जहां पदोन्नति की सभी संभावनाओं पर मामूली सजा का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं हो सकता है, या स्वीकार्य रूप से काफी हद तक कम हो सकता है। चयन और गैर-चयन पदों पर पदोन्नति के मामलों पर विचार करते समय मामूली सजा का प्रभाव अलग-अलग हो सकता है। हालाँकि, सजा की अवधि समाप्त होने के बाद भ्रष्टाचार की उपस्थिति एक कांस्टेबल के मामले में पदोन्नति से इनकार करने के लिए पर्याप्त कारण हो सकती है, जब स्थायी आदेश संख्या 127 में कहा गया है कि ईमानदारी को प्रमाणित करना होगा। मुझे विलियम एम्पसन की कविता - मिसिंग डेट्स - के दो छंद याद आ रहे हैं, जिन्हें मैं आज सही मायने में समझ पाया हूं:

"धीरे-धीरे जहर से पूरा रक्त प्रवाह भर जाता है।

यह न तो प्रयास है और न ही असफलता थकाती है।

'बर्बादी रहता है, अपशिष्ट बना रहता है और मारता है।

यदि आपका सिस्टम या स्पष्ट दृष्टि नहीं है जो जीवन के लिए आवश्यक परिणाम को छोटा कर देता है;

धीरे-धीरे सारा रक्त प्रवाह जहर से भर जाता है..."

(6) जब न तो हरियाणा पर लागू होने वाला कानून और न ही पंजाब पुलिस नियम, 1937 सेवा की अत्यावश्यकताओं और प्रशासनिक कारणों के आधार पर निर्दयतापूर्वक स्थानांतरणीय कांस्टेबलों की एसीआर बनाए रखने की बात कहता है, तो एक कांस्टेबल के खिलाफ उपयोग करने योग्य एकमात्र प्रासंगिक सामग्री नोटिंग ही रहेगी। संतोषजनक या असंतोषजनक काम और आचरण की शीट जो आदमी को दोष के साथ या उसके बिना दिखाना चाहिए और इसलिए, अतीत में लगाए गए दंडों की प्रासंगिकता प्रासंगिक हो जाती है, बर्बादी बनी रहती है, बर्बादी बनी रहती है और मारता है।

(7) मुझे नहीं लगता कि पुलिस महानिरीक्षक, अंबाला रेंज, विवादित आदेश पारित करते समय निर्णय लेने की प्रक्रिया में किसी अप्रासंगिक विचार के शिकार हुए हैं। 1 यानी जब वह कहता है कि भ्रष्टाचार का आरोप साबित होने पर याचिकाकर्ता की सत्यनिष्ठा को प्रमाणित नहीं किया जा सकता, तो उसे गलत नहीं ठहराया जा

सकता। यह केवल वित्तीय लाभ है जिससे याचिकाकर्ता अस्थायी रूप से वंचित था, समय की बर्बादी के कारण उसे उपलब्ध कराया गया है। वेतन और भत्तों की बहाली का वास्तव में नियमों के अनुसार पदोन्नति के अधिकार, उच्च पद के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने और कनिष्ठों को प्रेरित करने के अधिकार से कोई लेना-देना नहीं है। वास्तव में पदोन्नति का मतलब केवल नौकरी पाना नहीं है। अवैध परितोषण स्वीकार करने के लिए अस्थायी प्रभाव से एक वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकने को के रूप में पदोन्नत किया गया है और इसलिए, याचिकाकर्ता के साथ इस न्यायालय द्वारा उसी तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए। कई बार प्रशासक जो कर सकता है, न्यायालय उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। यहीं अंतर है।

(8) मैं याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अरुण कौंडाल द्वारा दिए गए तर्क को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं हूं कि कांस्टेबल अशोक कुमार और रोशन लाल को अवैध परितोषण स्वीकार करने के लिए अस्थायी प्रभाव से एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का मामूली दंड भुगतना पड़ा और उन्हें पदोन्नत किया गया। के रूप में और इसलिए, याचिकाकर्ता के साथ इस न्यायालय द्वारा उसी तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए। कई बार प्रशासक जो कर सकता है, न्यायालय उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। यहीं अंतर है।

(9) श्रीमान हरीश राठी, विद्वान वरिष्ठ उप महाधिवक्ता, हरियाणा लिखित बयान में बताया गया है कि अशोक कुमार को दी गई पदोन्नति वापस ले ली गई है और रोशन लाल को पदोन्नति वापस लेने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया है और पूरी संभावना है कि अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है।

(10) बताए गए कारणों के लिए उपरोक्त, इस याचिका में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता है, जो कि योग्यता से रहित है और खारिज कर दी गई है। कोई लागत नहीं होगी।

पी.एस. बाजवा

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसके उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेशयों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त होगा।

सरू गोयल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पानीपत, हरियाणा